न्यायालय बईजलास श्री के.आर. चौहान (R.A.S.) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ

प्र0सं0 35 / 2017 / प्रा.पत्र /   निर्णय दिनांक :– 16.11.2017

अनवान

1. श्रीमति कसनी पत्नी रामसिंह रावत निवासी खेरा सिरोला तहसील देवगढ़

———प्रार्थीया

बनाम

1. श्री नैनुसिंह पिता चिमनसिंह रावत निवासी खेरा सिरोला तहसील देवगढ़
2. श्री गोपालसिंह पिता दुर्गसिंह रावत निवासी खेरा सिरोला तहसील देवगढ़
3. श्री करणसिंह पिता मक्कनसिंह रावत निवासी खेरा सिरोला तहसील देवगढ़

——प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 रा0ले0ए0

उपस्थित :– श्री ईन्द्रमल कंसारा वकील प्रार्थी

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार पेश हुआ कि ग्राम खेड़ा पटवार हल्का मियाला तहसील देवगढ़ की सीमा में प्रार्थीया की भूमि स्थित है जिसके खाता संख्या 121 / 120 खसरा नं. 2821 / 274 रकबा 1.16 बीघा है। उक्त भूमि की प्रार्थीया ने अभी तक पत्थरगढ़ी नही करवाई है। मौके पर प्रार्थीया की व विपक्षीगण की भूमियां मिली हुई है विपक्षीगण से प्रार्थीया का भूमि की सीमा संबंधी विवार है प्रार्थीया की भूमि के पास एक नाला है तथा एक तरफ पड़त भूमि है। प्रार्थीया की उक्त भूमि के चारो तरफ पत्थर की पक्की बाउण्ड्री अथवा स्थाई सीमा चिन्ह नही होने से विपक्षीगण फसल बुवाई एवं फसल कटाई के प्रार्थी की जमीन में घुस जाते है कभी प्रार्थी की फसल एवं कभी घास काट देते हैं इस समसया का स्थाई समाधान मात्र पत्थरगढ़ी से ही हो सकता है अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कराया जाकर प्रार्थीया की उक्त वर्णित भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण के मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी किये गये। प्रत्युत्तर में विपक्षीगण ने कोई जवाब पेश नही किया बल्कि बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे जिस पर विपक्षीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई है। वकील प्रार्थीया ने प्रकरण में बहस की। विद्वान

वकील प्रार्थीया ने बहस में तर्क दिया कि प्रार्थीया की उक्त वर्णित भूमि के चारो तरफ पक्की पत्थर की दीवार अथवा स्थाई सीमा चिन्ह नही है जिससे विपक्षीगण हमेशा सीमा संबंधी विवाद करते रहते है। कभी प्रार्थीया की भूमि में से घास काट लेते है तो कीी फसल काट लेते है। मौके पर अशान्ति कायम रहती है जिससे प्रार्थीया को अनावश्यक मुकदमेबाजी का सहारा लेना पड़ता है। यदि प्रार्थीया की उक्त वर्णित भूमि की पत्थरगढ़ी हो जाती है तो इस समस्या का हमेशा–हमेशा के लिये समाधान हो जाएगा और प्रार्थीया अपनी भूमि में शान्तिपूर्वक काश्त वगैरह कर सकेगी। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया की उक्त वर्णित भूमि की पत्थरगढ़ी कराने के आदेश प्रदान कराये जावे।

हमने प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र एवं नकल जमाबंदी का अवलोकन किया तथा विद्वान वकील प्रार्थीया की बहस पर मनन किया। ग्राम खेड़ा पटवार हल्का मियाला तहसील देवगढ़ की जमाबंदी संख्या 2071 से 2074 में प्रार्थीया बतौर उक्त भूमि की खातेदार है। कोई भी खातेदार उसके खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी करा सकता है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीया के खाते की भूमि को ग्राम खेड़ा पटवार हल्का मियाला तहसील देवगढ़ में स्थित हो खाता संख्या 121/120 खसरा नं. 2821/274 रकबा 1.16 बीघा है की पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते है पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावे कि प्रार्थीया से नियमानुसार पत्थरगढ़ी शुल्क जमा करा विपक्षीगण को सूचित करा मौके पर पत्थरगढ़ी करा रिपोर्ट पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 16.11.2017 को खुले न्यायालय सुनाया गयां पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

सहायक कलेक्टर

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
देवगढ़ जिला–राजसमन्द